न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट बिधूना, औरैया।

प्रतिभू प्रार्थना पत्र सं0– /2024

CNR.No.UPAU12

राज्य बनाम अवनीश पाल उफ लालू आदि।

मुकदमा सं0–555/2023
मु0अ0सं0–166/2022
धारा–498ए,323,504,506 भा0दं0सं0 व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना–बेला, जिला औरैया।

दिनांक–31.01.2024

अभियुक्त अवनीश कुमार पाल उर्फ लालू पुत्र राजेश पाल की ओर से मु0अ0सं0–166/2022, अन्तर्गत धारा–498ए,323,504,506 भा0दं0सं0 व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना बेला, जिला औरैया के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

प्रार्थी/अभियुक्त का कथन है कि प्रार्थी पूर्णतः निर्दोष है तथा झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी द्वारा कोई दहेज की मांग नहीं की गयी है और न ही मुकदमा वादिनी के साथ किसी प्रकार की गाली गलौज व मारपीट की गयी है और न ही जान से मारने की धमकी दी गयी है। प्रार्थी द्वारा कभी भी मुकदमा वादिनी को किसी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया गया है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी पर्याप्त प्रतिभू देने को तैयार है। प्रार्थी जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी को दौरान विचारण मुकदमा जमानत पर रिहा करने की कृपा करें।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को अवसर प्रदान किया गया।

सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत प्रकरण पारिवारिक एवं वैवाहिक मामले से सम्बन्धित है। अभियुक्त वादिनी मुकदमा का पति है। अभियुक्त पर वादिनी मुकदमा से अतिरिक्त दहेज की मांग कर उसे शारीरिक एवं मानसिक रुप से प्रताड़ित करने व मारपीट करने से सम्बन्धित आक्षेप है। पूर्व में अभियुक्त की पत्रावली सुलह समझौता केन्द्र औरैया सन्दर्भित की गई थी। सुलह समझौता केन्द्र औरैया से अभी तक आख्या प्राप्त नहीं हुई है। अभियुक्त पूर्व से अन्तरिम जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अधिकतम 07 वर्ष के दण्ड से दण्डनीय है। अभियुक्त द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आत्मसमर्पण किया गया है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए, बिना गुण दोष पर टिप्पणी किये, अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्त अवनीश कुमार पाल उर्फ लालू पुत्र राजेश पाल की ओर से मु0अ0सं0–166/2022, अन्तर्गत धारा–498ए,323,504,506 भा0दं0सं0 व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना बेला, जिला औरैया के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त द्वारा पूर्व में दाखिल 25,000/–रूपये की दो प्रतिभूओं एवं समान धनराशि का एक नवीन व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तो पर स्वीकार किया जाता है कि–

1– अभियुक्त भविष्य में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

2– अभियुक्त साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा एवं गवाहों को अनावश्यक रूप से डरायेगा व धमकायेगा नहीं और किसी भी स्थिति में विचारण में विलम्ब उत्पन्न नहीं करेगा।

3– अभियुक्त किसी अवैधानिक किया कलाप को कारित करने में सम्मिलित नहीं होगा।

उक्त शर्तोनुसार प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान मुकदमा जमानत पर मुक्त किया जाये।

(शमसुल रहमान)
सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
बिधूना, औरैया।
J.O Code :UP3475

Digitally signed by Shamsul Rahman
Date: 2024.01.31 17:23:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court